बिहार सरकार
मद्यनिषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग
(निबंधन)

आदेश

का0आ0सं0–AR/1/2025-SEC_8B–..1251....../–बिहार विधान सभा की प्रत्यायुक्त विधान समिति द्वारा संज्ञान में लाये गये जिला निबंधन कार्यालय, गोपालगंज का वोल्युम–01, जिल्द–63, पृष्ठ संख्या–401–403, दस्तावेज संख्या–11894, तहरीर दिनांक–21.11.1944, शिव प्रताप शाही बनाम गणेश प्रसाद मिश्र मामले में जाँच हेतु विभाग द्वारा उप निबंधन महानिरीक्षक, बिहार, पटना की अध्यक्षता में गठित दो सदस्यीय समिति द्वारा जाँचोपरान्त समर्पित जाँच प्रतिवेदन में श्री नागेन्द्र मांझी, कार्यालय परिचारी, जिला निबंधन कार्यालय, गोपालगंज को प्रथम दृष्टया दोषी माना गया है।

2. उक्त के आलोक में श्री मांझी से जाँच प्रतिवेदन की प्रति संलग्न कर स्पष्टीकरण की मांग की गई, जिसके अनुपालन में श्री मांझी द्वारा अपना स्पष्टीकरण समर्पित किया गया।

3. श्री मांझी से प्राप्त स्पष्टीकरण की अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा सम्यक समीक्षा की गयी। समीक्षोपरांत पाया गया कि श्री मांझी ने अपने बचाव बयान में अपने स्पष्टीकरण के समर्थन में कोई भी साक्ष्य संलग्न नहीं किया है तथा उनका स्पष्टीकरण अस्पष्ट एवं भ्रामक है। जबकि दो सदस्यीय जाँच दल के प्रतिवेदन में स्पष्ट रूप से श्री मांझी को प्रथम दृष्टया दोषी मानते हुए उन्हें मूल अभिलेख में छेड़छाड़ करने, अपने कार्यों के प्रति लापरवाही एवं उदासीनता बरतने का दोषी माना है। जाँच प्रतिवेदन में प्रतिवेदित किया गया है कि श्री नागेन्द्र मांझी, कार्यालय परिचारी, के द्वारा अपने कार्यों के प्रति लापरवाही एवं उदासीनता बरती गई है। अभिलेखागार में संधारित अभिलेख के साथ छेड़छाड़ किया जाना अत्यंत ही गंभीर मामला है।

4. अतएव समीक्षोपरांत अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा श्री नागेन्द्र मांझी, कार्यालय परिचारी, जिला निबंधन कार्यालय, गोपालगंज द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण को अस्वीकृत करते हुए उनके द्वारा कार्य में लापरवाही एवं उदासीनता बरतने तथा मूल अभिलेख में छेड़छाड़ करने के प्रमाणित आरोपों के मद्देनजर बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम–14 के संगत प्रावधानों के अंतर्गत (1) निन्दन (आरोप वर्ष 2023) एवं (2) दो वार्षिक वेतन वृद्धि असंचयी प्रभाव से रोक का दण्ड अधिरोपित एवं संसूचित किया जाता है।

5. इसमें सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

ह0/–
(संजय कुमार)
सरकार के उप सचिव,
बिहार, पटना।

ज्ञापांक– AR/1/2025-SEC_8B–1251......../– पटना, दिनांक–12.03.25

प्रतिलिपि–महालेखाकार (ले0 एवं ह0) का कार्यालय, वीरचन्द पटेल पथ, बिहार, पटना/समाहर्त्ता–सह–जिला निबंधक, गोपालगंज/सहायक निबंधन महानिरीक्षक, सारण प्रमण्डल, छपरा/कोषागार पदाधिकारी, गोपालगंज/जिला निबंधन कार्यालय, गोपालगंज/प्रशाखा–6/आई0टी मैनेजर, मद्यनिषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु/श्री नागेन्द्र मांझी, कार्यालय परिचारी, जिला निबंधन कार्यालय, गोपालगंज को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के उप सचिव
बिहार, पटना।